संख्या: 4/2018/ 331/पैंतीस-2-2018

प्रेषक,

आर0एन0एस0 यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 12 अप्रैल, 2018**

विषय- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2018-19 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अधिष्ठान व्यय हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित बजट व्यवस्था रू0 9297.51 लाख (रू0 बानबे करोड़ सन्तानबे लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते है।

2- स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित प्रावधानों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- मानक मद "14-मोटर गाड़ियों का क्रय के" अन्तर्गत बजट प्रावधान से संबंधित धनराशि का व्यय शासन/वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।

4- वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के भुगतान की व्यवस्था राज्य कर्मचारियों हेतु मानक मद "52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)" तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं के कार्मिकों के लिए मानक मद "53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज सहायता)" में की गई है। अत: वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक पुनरीक्षित वेतन के देय अवशेष के 50 प्रतिशत अंश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में तथा 50 प्रतिशत अंश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- वस्तुओं के क्रय करते समय उत्तर प्रदेश स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7- स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-040 के लेखाशीर्षक-"3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन एवं प्रशासन-03- अर्थ एवं संख्या निदेशालय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में दिये गये निर्देश के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

संख्या: 4/2018/ 331(1)/पैतीस-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 4/2018/ 331 /पैंतीस-2-2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 का संलग्नक

अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-अर्थ एवं संख्या निदेशालय के अन्तर्गत -

(धनराशि लाख रूपयें में)

मानक मद	वर्ष 2018-19 मे बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि
01-वेतन	7316.36	7316.36
02-मजदूरी	7.40	7.40
03-महगाइ भत्ता	731.64	731.64
04-यात्रा व्यय	78.30	78.30
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10.00	10.00
06-अन्य भत्ते	316.00	316.00
07-मानदेय	3.00	3.00
08-कार्यालय व्यय	55.70	55.70
09-विद्युत देय	55.40	55.40
10-जलकर/जल प्रभार	4.00	4.00
11-लेखन सामग्री एव फार्मो की छपाइ	26.00	26.00
12-कार्यालय फर्नीचर एव उपकरण	19.50	19.50
13-टेलीफोन पर व्यय	14.40	14.40
14-मोटर गाडियो का क्रय	31.25	31.25
15-गाडियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	35.00	35.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान	2.50	2.50
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	22.50	22.50
18-प्रकाशन	67.40	67.40
29-अनुरक्षण	5.00	5.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एव अन्य प्रासंगिक व्यय	8.20	8.20
45-अवकाश यात्रा व्यय	5.00	5.00
46- कम्प्यूटर हाडवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	8.40	8.40
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सबधी स्टेशनरी क्रय	20.55	20.55
49-चिकित्सा व्यय	24.60	24.60
51-वर्दी व्यय	1.00	1.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	428.41	428.41
योग	**9297.51**	**9297.51**

(रू0 बानबे करोड़ सन्तानबे लाख इक्यावन हजार मात्र)

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।